

50/2 सुरेश वनाम गोपाल

क्रम संख्या	दिनांक आदेश या कार्यवाही	आदेश विस्तृत रूप से	दि.
	18/11/22	पत्रावली पेश हुई। वकील पं. कानाट प. 1 वकील अप्रार्थीगना की ओर से जबाब पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली डिमा गजक पत्रावली वास्ते जबाब बहस <sup>पं.</sup> संशोधित अनान हेतु दिनांक 25/11/22 को पेश है।	
	25.11.22	पत्रावली पेश हुई। वकील पत्रावली व अप्रार्थी पं. 3, 4 से 3/5 के वकील उपस्थित श. 11 की तर्जिब के प्रवर्धित एवं प्रतिक्रिया पत्रावली हेतु पं. वकील पत्रावली पेश संशोधित अर्थात् पत्रावली विषय गजक पत्रावली दिनांक 29.11.22 को पेश है।	
	29/11/2022	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता दायिरा अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 6 की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र शामिल मिसल है। अप्रार्थी संख्या 7, 8, 11 दिनांक 27/07/2022 की स्वयं उपास्थित हूये, परन्तु आदिनांक उनकी तरफ से कोई जबाब - प्रार्थना - पत्र नहीं दिया गया अतः अप्रार्थी संख्या 07, 08, 11 का जबाब बंद किया जाता है। अप्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 09, 10, 12 लगा. 14 की जरिये राजी एडी सम्मन जारी हूये एक माह से अधिक का समय हो चुका है। सम्मन अक्रम तामील लौकर भी प्राप्त नहीं है।	

क्र. सं.	दिनांक अथवा कार्यवाही	अज्ञ विवरण रूप से	विशेष विवरण
		<p>हुये हैं। अतः पांचों की साम्यक तामील मानी जाती है। अप्रार्थी सं. 09, 10, 12 लगायत 14 के विरुद्ध स्फुटरफा कार्यवाही मजल में लायी जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता श्री विनोद शर्मा और अप्रार्थी अधिवक्ता सं. 1 लगा. 6 की तरफ से श्री गिरिराज प्रसाद की उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनी गयी। दौरान बहस जाहिर तर्कों एवं पत्रावली मय दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजीयत का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण विवादग्रस्त भूमि के सहखतदार हैं। ऐसी स्थिति में यदि किसी सहखतदार द्वारा विशिष्ट-भू-भाग पर किसी तरह का निर्माण कार्य किया जाता है या बैचान किया जाता है तो सभी सहखतदारों को अपूरणीय क्षति एवं असुविधा कारित होने की संभावना है।</p> <p>अतः विवादित आराजीयत खसरा नं. 1127 रकबा 0.01 है, खसरा नं. 1128 रकबा 0.24 है, खसरा नं. 1129 रकबा 0.36 है, खसरा नं. 1130 रकबा 0.59 है, खसरा नं.</p>	

क्रम संख्या	दिलोक अग्र या कार्यवाही	अज्ञा विस्तृत रूप से
		1131 रकवा 0.23 हैक्टेयर,
		ख.नं. 1132 रकवा 0.54 हैक्टेयर,
		ख.नं. 1133 रकवा 0.20 हैक्टेयर
		ख.नं. 1134 रकवा 0.35 हैक्टेयर
		ख.नं. 1135 रकवा 0.15 हैक्टेयर
		कुल किता 9 कुल रकवा 2.67 हैक्टेयर
		ग्राम फनाउकला, तहसील बस्ती एवं
		ख.नं. 1182 रकवा 0.30 है.
		ख.नं. 1183 रकवा 0.17 हैक्टेयर
		ख.नं. 1186 रकवा 0.27 हैक्टेयर
		ख.नं. 1187 रकवा 0.23 हैक्टेयर
		ख.नं. 1188 रकवा 0.20 हैक्टेयर
		ख.नं. 1189 रकवा 0.18 हैक्टेयर
		ख.नं. 1190 रकवा 0.19 हैक्टेयर
		ख.नं. 1197 रकवा 0.56 हैक्टेयर
		ख.नं. 1234 रकवा 0.16 हैक्टेयर
		ख.नं. 1235 रकवा 0.12 हैक्टेयर
		ख.नं. 1236 रकवा 0.29 हैक्टेयर
		ख.नं. 1237 रकवा 0.04 हैक्टेयर
		ख.नं. 1238 रकवा 0.04 हैक्टेयर
		ख.नं. 1247 रकवा 0.25 हैक्टेयर
		ख.नं. 1248 रकवा 0.30 है.,
		कुल किता 15 कुल रकवा 3.30 है
		ग्राम फनाउकला, तहसील बस्ती पर
		ताकसला वाद मौके पर कोई निर्माण
		कार्य ना करें ताकि दावे की विषय-
		वस्तु को निर्णय तक सुरक्षित रखा
		जा सके। मौके की यथास्थिति
		इस कदर बनाये रखें कि दावा
		श.

न्यायालय सहायक कमिश्नर वस्ती विकास बल्लारसुरेश

बनाम

गोपाल

मुकदमा संख्या/वर्ष

: 50/2021

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>प्रस्तुतिकरण की तारीख को विवादित भूमि पर जिस प्रकार काबिज थे, उसी के अनुसार काश्त करते रहेंगे, अन्य कोई मौका परिवर्तन नहीं करेंगे।</p> <p>फैसला खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम है।</p> <p style="text-align: right;"><u>११.</u></p>	